**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 5551**

**04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत नागरिक**

**† 5551. प्रो. सौगत रायः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एबी-पीएमजेएवाई के आरंभ से लेकर अब तक इसमें पंजीकृत व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) आयुष्मान भारत में पंजीकृत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) देश में अपनाए गए बीमा मॉडल और ट्रस्ट मॉडल का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में इस बात का खुलासा हुआ है कि उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ फोन अथवा आधार नम्बरों का कई उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के इस प्रकार के गुणन और दुरुपयोग से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): देश में एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए मॉडल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): वित्त वर्ष 2018-21 के दौरान सीएजी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकरण कराया है। लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस) में अगस्त, 2022 से पहले, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मोबाइल नंबर एक अनिवार्य अपेक्षा थी और ऐसे मामलों में जहां व्यक्तियों के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं होता था, कार्ड बनाने वाले अधिकृत ऑपरेटर अपना खुद का मोबाइल नंबर या अनियत 10-अंकीय नंबर दर्ज करते थे। हालांकि, मोबाइल नंबर पात्रता निर्धारित करने और आयुष्मान कार्ड बनाने का आधार नहीं है। आयुष्मान कार्ड आधार ई-केवाईसी होने के बाद ही लाभार्थी को जारी किए जाते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए बीआईएस का एक नया संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर को वैकल्पिक बना दिया गया है और मोबाइल नंबर के लिए जरूरी सत्यापन लागू किए गए हैं।

इसके अलावा, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, एनएचए ने अपने सभी लाभार्थी डेटाबेस में डुप्लिकेट आधार नंबर की जांच करने के लिए एक अभियान चलाया, पर ऐसा कोई डुप्लिकेट आधार नहीं मिला। इस प्रकार, लाभार्थियों के सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं है, चाहे वह एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े कई लाभार्थियों के बारे में हो या एनएचए आईटी सिस्टम में एक ही आधार नंबर पर कई पंजीकरणों से संबंधित हो।

**अनुलग्नक- I**

**एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आयुष्मान कार्डों की संख्या |
|---|---:|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 78,745 |
| आंध्र प्रदेश | 1,56,45,241 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,55,473 |
| असम | 1,73,31,483 |
| बिहार | 3,72,35,018 |
| चंडीगढ़ | 2,64,435 |
| छत्तीसगढ | 2,33,23,348 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 4,42,110 |
| गोवा | 90,548 |
| गुजरात | 2,72,96,057 |
| हरियाणा | 1,31,43,285 |
| हिमाचल प्रदेश | 13,87,423 |
| जम्मू और कश्मीर | 86,47,008 |
| झारखंड | 1,25,24,252 |
| कर्नाटक | 1,83,41,044 |
| केरल | 82,45,623 |
| लद्दाख | 1,95,340 |
| लक्षद्वीप | 35,606 |
| मध्य प्रदेश | 4,27,48,945 |
| महाराष्ट्र | 2,94,87,246 |
| मणिपुर | 6,57,183 |
| मेघालय | 20,51,227 |
| मिजोरम | 5,77,694 |
| नागालैंड | 7,37,724 |
| पुदुचेरी | 5,31,672 |
| पंजाब | 88,91,556 |
| राजस्थान | 2,23,44,252 |
| सिक्किम | 84,197 |
| तमिलनाडु | 79,32,327 |
| तेलंगाना | 82,66,761 |
| त्रिपुरा | 20,78,335 |
| उत्तर प्रदेश | 5,23,04,148 |
| उत्तराखंड | 59,42,627 |

अनुलग्नक- II

**एबी-पीएमजेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की संख्या |
|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3,479 |
| आंध्र प्रदेश | 70,485 |
| अरुणाचल प्रदेश | 157 |
| असम | 15,218 |
| बिहार | 2,15,808 |
| चंडीगढ़ | 8,951 |
| छत्तीसगढ़ | 3,07,608 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2,143 |
| गोवा | 6,567 |
| गुजरात | 4,27,120 |
| हरियाणा | 1,32,548 |
| हिमाचल प्रदेश | 49,400 |
| जम्मू और कश्मीर | 77,169 |
| झारखंड | 29,881 |
| कर्नाटक | 1,53,988 |
| केरल | 5,89,193 |
| लद्दाख | 180 |
| लक्षद्वीप | 43 |
| मध्य प्रदेश | 13,82,089 |
| महाराष्ट्र | 2,15,454 |
| मणिपुर | 10,803 |
| मेघालय | 128 |
| मिजोरम | 3,449 |
| नागालैंड | 265 |
| पुदुचेरी | 10,257 |
| पंजाब | 1,01,637 |
| राजस्थान | 3,18,329 |
| सिक्किम | 4,488 |
| तमिलनाडु | 1,50,660 |
| तेलंगाना | 18,019 |
| त्रिपुरा | 39,226 |
| उत्तर प्रदेश | 10,06,847 |
| उत्तराखंड | 12,733 |

**अनुलग्नक- III**

**देश में एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए मॉडल का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| संघ राज्य क्षेत्र /राज्य | कार्यान्वयन का तरीका |
|---|---|
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | न्यास |
| आंध्र प्रदेश | न्यास |
| अरुणाचल प्रदेश | न्यास |
| असम | न्यास |
| बिहार | न्यास |
| चंडीगढ़ | न्यास |
| छत्तीसगढ़ | न्यास |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | बीमा |
| गोवा | न्यास |
| गुजरात | संकर |
| हरियाणा | न्यास |
| हिमाचल प्रदेश | न्यास |
| जम्मू और कश्मीर | बीमा |
| झारखंड | संकर |
| कर्नाटक | न्यास |
| केरल | न्यास |
| लद्दाख | न्यास |
| लक्षद्वीप | बीमा |
| मध्य प्रदेश | न्यास |
| महाराष्ट्र | न्यास |
| मणिपुर | न्यास |
| मेघालय | बीमा |
| मिजोरम | न्यास |
| नागालैंड | बीमा |
| पुदुचेरी | न्यास |
| पंजाब | न्यास |
| राजस्थान | बीमा |
| सिक्किम | न्यास |
| तमिलनाडु | बीमा |
| तेलंगाना | न्यास |
| त्रिपुरा | न्यास |
| उत्तर प्रदेश | न्यास |
| उत्तराखंड | न्यास |

******